UPBN010066082022

Presented on : 10-10-2022
Registered on : 10-10-2022
Decided on : 17-10-2022
Duration : 0 years, 0 months, 7 days

IN THE COURT OF
A.D. S.J. COURT NO.-7, BUDAUN AT ,Budaun
Presided Over by SHRI MOHD SHARIQ SIDDIQUE

Bail Application/3297/2022

न्यायालयः विशेष न्यायाधीश,गैंगस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या – ७,बदायूॅं।

सी०एन०आर०नम्बर–यू०पी०बी०एन०–०१–००६६०८–२०२२

प्रकीर्ण जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–३२९७/२०२२

शरीफ बनाम सरकार

मु०अ०सं०–२९०/२०२२

धारा–२/३ गैंगस्टर अधिनियम

थाना–उसैहत,जिला–बदायूॅं।

दि०:१७–१०–२०२२

यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त शरीफ पुत्र अली वक्स निवासी वार्ड नं०–८ कस्वा व थाना उसैहत जिला बदायूॅं की ओर से मु०अ०सं०–२९०/२०२२ धारा–२/३ गैंगस्टर अधिनियम थाना उसैहत जिला बदायूॅं के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है तथा अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय में लम्बित न होने के सम्बन्ध में श्रीमती जहीरा वेगम पत्नी शरीफ द्वारा अपना शपथपत्र भी दाखिल किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार से है कि वादी मुकदमा थानाध्यक्ष अवधेश सेंगर द्वारा एक जुवानी सूचना थाना हाजा पर इस आशय की अंकित करायी गयी है कि वादी मुकदमा अपने हमरायहियान का० १४९ उमेश सिंह मय एक जख ए०के० ४७ मय २० कारतूस मय मैगजीन व कां० १२४० विकास कुमार मय एक जख इंसास रायफल नं०–१८७४१५१२ फोल्ड बट के मय गाडी जीप सरकारी नं०–यू०पी०२४जी/०३०८ के मय चालक कां० राकेश अग्निहोत्री रवानाशुदा रफ्ता रपट रो०आम तारीखी इमरोजा में बाद देखरेख शान्ति व्यवस्था चैकिंग व संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में इलाका थाना हाजर से वापस आया। तहरीर किया दौराने शान्ति व्यवस्था डयूटी थाना क्षेत्र भ्रमण से जानकारी मिली कि चन्दा उर्फ चांद मियां पुत्र बाबू निवासी वार्ड नं०–४ कस्वा व थाना उसैहत, बदायूॅं, शरीरफ पुत्र अली वक्स निवासी वार्ड नं०–८ कस्वा व थाना उसैहत, बदायूॅं, शाबू उर्फ सफीक पुत्र शरीफ निवासी वार्ड नं०–८ कस्वा व थाना उसैहत, अकबर पुत्र फैजे निवासी वार्ड नं०–८

कस्वा व थाना उसैहत, बदायूँ लाला पुत्र सोने बंजारा निवासी वार्ड नं०–४ कस्वा व थाना उसैहत बदायूँ अपने भौतिक एवं आर्थिक लाभ के लिए गोवंशीय पशुओं का वध करके लोगों को क्रय–विक्रय करने का व्यापार करके धन अर्जित करते हैं। इनके डर एवं भय के कारण जनता का कोई व्यक्ति शिकायत का साहस नहीं करता है इस पर मुझ थानाध्यक्ष द्वारा श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट, बदाययूँ के कार्यालय से अनुमोदन शुदा गैंगचार्ट अभियुक्त गैंगलीडर अभियुक्त चंदा उर्फ चांद मिया पुत्र बाबू निवासी वार्ड न०–४ कस्वा व थाना उसैहत व इसके सक्रीय सदस्य शरीफ पुत्र अली वक्स निवासी वार्ड नं०–८ कस्वा व थाना उसैहत, बदायूँ व शाबू उर्फ सफीक पुत्र शरीफ निवासी वार्ड नं०–८ कस्वा व थाना उसैहत, बदायूँ व अकबर पुत्र फैजे निवासी वार्ड नं०–८ कस्वा व थाना उसैहत, बदायूँ, व लाला पुत्र सोने बंजारा निवासी वार्ड नं०–४ कस्वा व थाना उसैहत, बदायूँ का अपराधिक इतिहास दिया गया है जिसके अनुसार अभियुक्त चन्दा उर्फ चाँद मियां के विरूद्ध मु०अ०सं०–१२२/२०२१ धारा–३/५/८ सी०एस०एक्ट, मु०अ०सं०–१५४/२०१९ धारा–३९८, ४०१ भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–२९४/२०२१ धारा–८/२० एन०डी०पी०एस० एक्ट, मु०अ०सं०–२९५/२०२१ धारा–४/२५ आयुध अधि० थाना उसैहत, बदायूँ तथा अभियुक्त शरीफ पुत्र अली वक्स का मु०अ०सं०–४२८/२०१४ धारा–३/५/८ सी० एस०एक्ट,मु०अ०सं०–१२२/८२०२१ धारा–३/५/८ सी०एस०एक्ट थाना उसैहत, बदायूँ, अभियुक्त शाबू उर्फ सफीक पुत्र शरीफ का मु०अ०सं०–१२२/२०२१ धारा–३/५/८ सी०एस० एक्ट, थाना उसैहत, बदायूँ, अभियुक्त अकबर पुत्र फैजे का मु०अ० सं०–१२२/२०२१ धारा–३/५/८ सी०एस० एक्ट थाना उसैहत, बदायूँ लाला पुत्र सोने बजारा का मु०अ०सं०–१२२/२०२१ धारा–३/५/८ सी०एस० एक्ट थाना उसैहत जिला बदायूँ का अभियोग पंजीकृत पंजीकृत है। उपरोक्त गैंग के विरूद्ध धारा–२/३ गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया जाना न्यायोचित है ताकि जनता अपने को सुरक्षित महसूस कर सके।

बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त को राजनैतिक दवाव के कारण झूठा फसाया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध जुर्म धारा–२/३ गैंगस्टर एक्ट का मामला नहीं बनता है। थाना पुलिस द्वारा गैंगचार्ट मे अभियुक्त पर दो मुकदमे दर्शाये गये है तथा इन दोनों मे अभियुक्त जमानत पर है। अभियुक्त ६२ वर्षीय बृजुर्ग व्यक्ति है और अक्सर बीमार रहता है तथा इलाज हेतु बरेली जाता है। अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा और मुकदमा के विचारण में पूर्ण रूप से सहयोग करेगा। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विशेष लोक अभियोजन,गैंगस्टर द्वारा जमानत का विरोध किया गया है।

मैने सहायक अभियोजन अधिकारी तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पुलिस प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त गैंग का सदस्य है तथा इस गैंग का लीडर चन्दा उर्फ चॉद मियाँ है। गैंग चार्ट के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध मु०अ०सं०–१२२/२०२१ धारा–३/५/८ गोवध अधिनियम थाना उसैहत जिला बदायूँ के वाद दर्ज हैं। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध

मु०अ०सं०–४२८/२०१४ धारा–३/५/८ गोवध अधिनियम व मु०अ०सं०–१२२/२०२१ सरकार बनाम शरीफ धारा– ३/५/८ गोवध अधिनियम थाना उसैहत का अभियोग भी पंजीकृत है। उ०प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम–१९८६ की धारा–१९ (४) (बी) के अन्तर्गत ऐसा कोई समाधानकारण साक्ष्य अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है कि गैंगचार्ट में वर्णित अपराध उसके द्वारा नहीं किये गये और जमानत पर रिहा होने के उपरान्त उसके द्वारा पुनः ऐसा अपराध नहीं किये जायेंगा। आवेदक को उक्त गैंग का सदस्य बताया गया है और उसके द्वारा अपने साथियों व गैंगलीडर के साथ मिलकर गोवध निवारण अधिनियम का अपराध किया जाना बताया गया है। ऐसे में मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का कोई आधार पर्याप्त नहीं है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **शरीफ पुत्र अली वक्स** का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(मौ० शारिक सिद्दीकी)
विशेष न्यायाधीश,गैंगस्टर एक्ट/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या–७,बदायूँ
आई०डी०नम्बर–यू०पी०२६४५

Digitally signed by MOHD SHARIQ SIDDIQUE
Date: 2022.10.17 16:17:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court